पत्रांक–1/प्रा०आ०(2)–24/2006 ....1532......................../आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिलापदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–08.04.2016

विषय– अग्निकांड की घटनाओं की रोकथाम के संबंध में।

महाशय,

उपुर्यक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान में राज्य के विभिन्न हिस्सों से अग्निकांड की घटना की सूचना प्राप्त हो रही हैं, एवं बड़े पैमाने पर फसल की क्षति के साथ–साथ गृहक्षति एवं मानव क्षति भी हो रही है। आग लगने के कारणों में अन्य कारणों के साथ हारभेस्टिंग एवं थ्रेसिंग भी एक है। हारभेस्टिंग, थ्रेसिंग एवं लटक रहे बिजली के जर–जर तार से निकलने वाली चिंगारी, इसके प्रमुख कारक है। साथ ही पछुआ हवा से, इसे और व्यापक होने में गति मिलती है। माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य में हो रही अग्निकांड की घटनाओं पर विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई का निदेश दिया गया है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि जिलास्तर पर जनप्रतिनिधियों, कृषकजनों, अग्निशमन पदाधिकारियों एवं स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ बैठक शीघ्र की जाए तथा अग्निकांड से हो रही व्यापक क्षति को कम करने/समाप्त करने के बिन्दु पर व्यापक रूप से चर्चा कर आवश्यक कदम उठाये जाए एवं अग्निकांड से बचाव हेतु "क्या करें/क्या ना करें" से संबंधित अखबारों में विज्ञापन दिया जाए। यदि अग्निकांड की घटनायें घटती हैं, तो उनसे होने वाली क्षति का आकलन कर शीघ्र विभाग को प्रतिवेदित किया जाए। इस संबंध में यदि कोई मामला लंबित भी हो तो उसे भी विभाग को प्रतिवेदित किया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार दिन की जगह रात्रि में हारभेस्टिंग एवं थ्रेसिंग करने की सलाह भी दी जाए।

विश्वासभाजन

(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव